

FORM NO III

फॉर्म अहमकाम  
(नियम - 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

उपखण्ड

मुकाम भीलवाडा जिला भीलवाडा

पेश

बनाम अज्ञात

कदमा ..... 111-128 ..... वादपत्र / प्रार्थना पत्र / मुकदमा नं. 37/25

रीख पेशी

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत जत्र

जज अदालत  
उपखण्ड अहमकाम  
/ जे दस मुकद  
की अहमकाम  
जुमि हु

2-1-25

बाद जांच वाद / प्रार्थना पत्र / ईजराय / अपील पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 24-1-25 को पेश हो।

[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

24-01-25 पत्रावली पेश हुई। पक्षी अधिवक्ता उपखण्ड विपक्षी के सम्मन तालिम ली। सम्मन के AD पेश रहे। पेश होने पर जारी 12 पत्रावली तलवी हेतु दिनांक 20-03-25 को पेश हो।

20/03/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षी अधिवक्ता उपखण्ड विपक्षी के सम्मन तालिम ली। विपक्षी के सम्मन तालिम के AD पेश करे। पेश नहीं करने पर न्यायालय आदेश 09 दिनांक 05 जू. 25 को कार्रवाई की जायेगी। पत्रावली तलवी हेतु दिनांक 22/04/25 को पेश हो।

28/04/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षी अधिवक्ता उपखण्ड विपक्षी के सम्मन बाद तालिम प्राप्त की। रजिस्टर AD सम्मन लिखित विपक्षी के सम्मन पेश करे। अतिरिक्त कवाना दिया जाकर पत्रावली तलवी हेतु दिनांक 28/04/25 को पेश हो।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मध्यम या तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
से जारी हुए

16.9.25 पचावली पेश। प्रार्थी अधिकार का (310)  
प्रकरण सावित्र कोर्ट में दिनांक 24.10.25  
को पेश हो।

24.10.25 पचावली पेश। प्रार्थी व प्रार्थी अधिकार  
उपस्थित नहीं। प्रार्थी व प्रार्थी अधिकार  
को तीन बार आवाज लगायी गयी। परंतु  
उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण प्रार्थी की  
अवन हाजिरी व प्रार्थी अधिकार का ही अहम  
पेशी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फौजदारी  
प्रमाणों के बिना खारिज से इम हो।

*Shyama*  
शुभ आशा  
उत्तरवाक्य